मु.नं.–55 / 2021 GCMS ID-2021/88 ता.रजु–02.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सोहनलाल निवासी ग्राम फिरोजपुर पोस्ट नींदर, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील मण्डरायल – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.07.2021, 22.07.2021, 29.07.21, 04.08.21, 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) हल्का पटवारी श्री राकेश गुर्जर के विरुद्ध सरकारी चारागाह भूमि पर कराये गये अतिक्रमणों पर की शिकायत श्रीमान् जिला कलक्टर करौली को दिनांक 01.04.2021 को की गई जिसमें तहसीलदार मण्डरायल, गिरदावर महेश शर्मा ने जो जांच की, जिसकी जांच रिपोर्ट मय बयानात की प्रमाणित छायाप्रतियां सम्पूर्ण पत्रावली 24.04.2021 की नकलें (2) ग्राम फिरोजपुर हल्का नींदर में नीलगाय से हुई लाखन माली पुत्र अर्जुन माली फिरोजपुर मौत प्रकरण में तहसीलदार मण्डरायल पटवारी हल्का नींदर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट बयानात (3) (i) हरज्ञान गुर्जर पुत्र रतनलाल फिरोजपुर (ii) मुरारी कुम्हार पुत्र भगवंत कुम्हार (iii) पृथ्वी पुत्र नथुआ कुम्हार (iv) खचेरू पुत्र नथुआ कुम्हार (v) हीरा पुत्र रामप्रसाद गुर्जर के द्वारा दिये गये बयानात, भरतलाल बैरबा ओ.के. द्वारा तहसीलदार साहब के समक्ष लिये गये हैं, उनकी प्रतियां व सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई थी जिसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 10.06.2021 द्वारा मांगा गया लेकिन कितनी राशि जमा करानी है, उल्लेख पत्र में नहीं किया गया, इस कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 12.05.21 को दर्ज किया गया। तत्समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी। अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 414 दिनांक 11.06.21 को निर्धारित शुल्क 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से राजकोष में जरिये चालान राशि जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया था। अपीलार्थी द्वारा पृष्ठ बाबत् सूचना चाहे जाने पर पत्र क्रमांक 483 दिनांक 06.07.21 के द्वारा 10 पृष्ठों के 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से 20 रुपये की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा कराकर सूचना की नकल प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया जो अपीलार्थी की पत्नि श्रीमती रामदुलारी ने प्राप्त किया है। वांछित राशि का चालान प्राप्त होते ही तुरंत वांछित नकल प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जावेगी।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है लेकिन निर्धारित अवधि 30 दिन व्यतीत होने के उपरांत प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी से राशि की मांग की गई है जो उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क दिलाया जाना उचित है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवायें।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली